भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 4442
गुरुवार, 27 मार्च, 2025/6 चैत्र, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

विमानपत्तनों पर अनेक पहचान पत्र जांच चौकियों का होना

4442. श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंग:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश के विमानपत्तनों पर यात्री पहचान पत्र सत्यापन के लिए स्थापित अनेक जांच चौकियों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी पद्धति अपनाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त अभ्यास अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर अपनाए जा रहे वैश्विक मानकों के अनुरूप है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या उक्त अभ्यास के कारण विमानपत्तन परिसर के अंदर यात्रियों की आवाजाही धीमी हो जाती है तथा लंबी कतारें लग जाती हैं;

(च) यदि हां, तो इसके कारणों सहित इसका ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या सरकार का विमानपत्तनों पर पहचान पत्र जांच के बिंदुओं को न्यूनतम करने के लिए इस अभ्यास को युक्तिसंगत बनाने का विचार है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (घ): देश में विमानन सुरक्षा विनियामक, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) ने विमानन सुरक्षा समूह (एएसजी) के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य किया है कि केवल वास्तविक यात्री ही हवाईअड्डे की टर्मिनल बिल्डिंग में प्रवेश करें और विमान प्रचालकों के लिए अनिवार्य किया है कि केवल वास्तविक यात्री ही अपने संबंधित विमान में सवार हों। तदनुसार, यात्री आईडी कार्ड का सत्यापन किया जाता है। उपर्युक्त प्रक्रिया वैश्विक मानकों के अनुरूप है।

(ङ) से (छ): यात्रियों के सुचारू आवागमन और सुरक्षा जाँच के दौरान प्रतीक्षा समय को कम करने के लिए हवाईअड्डों पर लागू किए गए निम्नलिखित उपाय प्रभावी साबित हुए हैं:

i) सुरक्षा जाँच के दौरान यात्रियों की सहायता के लिए अतिरिक्त ग्राहक सेवा सहयोगियों की भर्ती की गई है।

ii) प्रोसेसिंग क्षमता के आंकलन के पश्चात सुरक्षा जाँच चौकियों की लेन में वृद्धि।

iii) संवर्धित सुरक्षा अवसंरचना के आधार पर सीआईएसएफ जनशक्ति में वृद्धि।

iv) उत्प्रवासन/आप्रवासन काउंटरों में वृद्धि।

v) हवाईअड्डों की विभिन्न जाँच चौकियों पर निर्बाध, परेशानी मुक्त और तीव्र यात्री प्रोसेसिंग का अनुभव प्रदान करने के लिए डिजी यात्रा को लागू किया गया है।

vi) उड़ानों की डी–बंचिंग।

vii) होर्डिंग/साइनेज के माध्यम से सुरक्षा प्रक्रियाओं के बारे में यात्रियों के बीच जागरूकता फैलाना।

*****